

8/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुयी। वकील प्रार्थीया व तहसीलदार नीमकाथाना उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम हरजनपुरा पटवार हल्का बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 149 कुल किता 15 कुल रकबा 8.36 हैक्टे0 की खातेदारी में प्रार्थीया का नाम ममता के स्थान पर बरफी गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम ममता है। परन्तु नाम दर्ज करते समय राजस्व कार्मिकों ने सहवन से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का बोलता नाम बरफी गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, में प्रार्थीया का सही नाम ममता अंकित है जिसकी फोटो प्रतिलिपि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया ने लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम बरफी गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थीया के सही नाम ममता की पुष्टि प्रार्थीया के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, व प्रार्थीया के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत

(बृजेश कुमार)  
उपरखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना

रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित है।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

### आदेश

प्रा० पत्र० 99 / 2021

निर्णय दिनांक 13.08.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं:-

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
हरजनपुरा	खाता संख्या 149	बरफी पुत्री सुरजा	ममता पुत्री सुरजा

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल  
शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)